

प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य,थाना- औराई, जनपद- भदोही

दिनांक- 24.09.2026

*♦ अवैध गांजा एवं मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त गैंग लीडर सहित 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत*

*♦ गैंग द्वारा आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित दुनियावी लाभ हेतु संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियां किए जाने पर हुई प्रभावी कार्यवाही*

.....

शासन/पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक भदोही *श्री अभिनव त्यागी* के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक भदोही *श्री शुभम अग्रवाल* के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना औराई पुलिस द्वारा संगठित आपराधिक गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है।

गैंगस्टर की कार्यवाही

थाना औराई पुलिस द्वारा गैंग लीडर आमिर पुत्र रियाज, निवासी बुढ़वा, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज तथा उसके गैंग के सक्रिय सदस्यों कलीम साह पुत्र महबूब, साहिल पुत्र मो० नईम एवं विनोद कुशवाहा पुत्र लक्ष्मण कुशवाहा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त गैंग द्वारा संगठित होकर चोरी एवं मादक पदार्थों की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्यों के माध्यम से आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित दुनियावी लाभ अर्जित किए जाने का उल्लेख है। गैंग लीडर आमिर द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों को संचालित किया जाता था तथा अपराध से अर्जित धन का उपयोग अपने एवं गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए किया जाता था। थाना औराई पर उपरोक्त गैंग लीडर एवं 03 सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध *मु०अ०सं०-0419/2026, धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूर्व से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त

गैंग लीडर एवं गैंग के सदस्यों के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। थाना औराई में मु०अ०सं०-189/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस अंतर्गत कुल ₹3600 तथा मु०अ०सं०-194/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल 20.730 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। गैंग लीडर एवं उसके सदस्यों द्वारा चोरी एवं मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों में

संलिप्त होकर अवैध रूप से धन अर्जित किए जाने तथा उनके आपराधिक कृत्यों से आम जनमानस में भय एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न होने का उल्लेख FIR में किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण

1. गेंग लीडर आमिर पुत्र रियाज, निवासी बुढ़वा, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 21 वर्ष। विभिन्न जनपदों में चोरी, गैंगेस्टर व आर्म्स एक्ट में *कुल 05* अभियोग पंजीकृत हैं।
2. कलीम साह पुत्र महबूब, निवासी कोसफरा, थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 50 वर्ष – सक्रिय सदस्य। जनपद प्रयागराज के विभिन्न थानों पर मादक पदार्थों की तस्करी से सम्बन्धित *कुल 06* अभियोग पंजीकृत हैं।
3. साहिल पुत्र मो० नईम, निवासी लीडर रोड रेलवे स्टेशन प्रयागराज के सामने, हाल पता अरेल कसाई टोला, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 35 वर्ष – सक्रिय सदस्य।
4. विनोद कुशवाहा पुत्र लक्ष्मण कुशवाहा, निवासी कोसफरा, थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 30 वर्ष – सक्रिय सदस्य।

पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध एवं आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही निरंतर जारी है।